न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 12/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– टीकमचन्द उर्फ टेकचन्द पुत्र बूलचन्द जाति सिन्धी निवासी पुराना वार्ड सं07, नया–5 रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर ।

––––– अपीलांट

–– बनाम ––

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

––––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– ज्ञानसिंह	अभिभाषक अपीलान्ट
चतुर्भुज शर्मा	सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 16–1–2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.11.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 12.10.2018 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी टीकमचन्द उर्फ टेकचन्द पुत्र बूलचन्द जाति सिन्धी निवासी पुराना वार्ड सं07, नया–5 रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा सट्टा की खाईवाली करने का आदी है,जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है । गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसके विरुध्द कुल 24 मुकदमे जुआ अधिनियम के दर्ज हैं जिनमें से 19 मुकदमों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.10.18 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 31.10.18 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 31.10.18 को अपीलान्ट द्वारा जवाब इस्तगासा हेतु अवसर चाहा गया एवं दिनांक 13.11.18 को जवाब पेश किया गया । अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के पश्चात् न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक 20.11.18 को निर्णय परित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना लूणकरनसर जिला बीकानेर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय लूणकरनसर में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 20.11.18 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपनी बहस में कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस थाना रायसिंहनगर द्वारा रंजिशवश दर्ज किये गये थे, जिनका अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है । अपीलार्थी के विरुध्द परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत होने के पश्चात डेढ माह की अवधि में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को परिक्षित नहीं करवाया है । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुध्द अपना परिवाद साबित करने में असफल रहा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुध्द उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित किया गया है । प्रार्थी अपीलान्ट शान्तिप्रिय एवम् मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जिस पर अपने माता पिता, पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारियां है । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.18 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द कुल 24 मुकदमे जुआ अधिनियम के दर्ज 19 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रोजनामचा दिनांक 27.9.18 के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है । मौहल्ले के लोगों को धमकाता है, जिसके कारण अपीलान्ट का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे । ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 12.10.18 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत वर्ष 2000 से 2010 तक 16 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया तथा वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित 3 मुकदमे और दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	115/20.3.17	13 RPGO	10.4.17	सजा 100/– जुर्माना
2	324/7.8.17	13 RPGO	18.9.17	सजा 100/– जुर्माना
3	27/17.1.18	13 RPGO	13.3.18	सजा 100/– जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

9. क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(5) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 24 मुकदमे दर्ज हुए एवम् 19 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (5)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामचा के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है, अपीलान्ट सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है । गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (5) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट क विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला बीकानेर में थानाधिकारी, पुलिस थाना लूणकरनसर को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश दि0 20.11.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

12. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर